फा. सं. 12/63/2014-बीएडीपी (पार्ट-VII)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
सीमा प्रबंधन प्रभाग-।।
*****

कमरा नं. 21, हेरीटेज बिल्डिंग,
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम,
इंडिया गेट सर्किल, नई दिल्ली- 110001
दिनाँक 12 अक्टूबर, 2021.

सेवा में,

मुख्य सचिव,
राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश/ असम/ बिहार/ गुजरात/ हिमाचल प्रदेश/ मणिपुर/ मेघालय/ मिजोरम/ नागालैंड/ पंजाब/ राजस्थान/ सिक्किम/ त्रिपुरा/ उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड/ पश्चिम बंगाल/ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर/ केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख।

विषयः सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश, 2020 में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के पत्र संख्या 12/63/2014-बीएडीपी (पार्ट-1) दिनांक 11 मार्च, 2020 के क्रम में जिसके द्वारा सभी हितधारकों को नए बीएडीपी दिशानिर्देश, 2020 जारी किए गए थे, यह मंत्रालय पैरा/वाक्यांशों के अधिक्रमण में संशोधन जारी करता है (प्रति संलग्न)।

2. बीएडीपी दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार जहां कहीं भी बीएडीएस शब्द का उल्लेख किया गया है, उसे बीएडीपी पढ़ा जाए।

3. संशोधित दिशानिर्देश माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदनोपंरात जारी किये गये हैं एवं ये संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागु होंगें।

संलग्नः उपरोक्त।

भवदीय,

12.10.2021

(मनोज कुमार झा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 011 -23075317

प्रतिलिपिः

1. सचिव, व्यव विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, कृषि, एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

7. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. प्रधान सलाहकार, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
17. अपर सचिव (जेकेएल), जम्मू एवं कश्मीर विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
18. अपर सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
19. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राईफल्स।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. नोडल अधिकारी (बीएडीपी), राज्य सरकार अरुणाचल प्रदेश/ असम/ बिहार/ गुजरात/ हिमाचल प्रदेश/ मणिपुर/ मेघालय/ मिजोरम/ नागालैंड/ पंजाब/ राजस्थान/ सिक्किम/ त्रिपुरा/ उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड/ पश्चिम बंगाल/ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर/ केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख।
2. माननीय गृह मंत्री जी के निजी सचिव/ माननीय गृह राज्यमंत्री (एन) जी के निजी सचिव/ माननीय गृह राज्यमंत्री (एनपी) जी के निजी सचिव/ गृह सचिव के प्रधान निजी सचिव/ सचिव (सीमा प्रबंधन) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) के प्रधान निजी सचिव।
3. मास्टर फोल्डर

प्रतिलिपिः

1. उप सचिव,वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – सूचनार्थ ।
2. अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), को इस अनुरोध के साथ कि इन दिशा-निर्देशों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. सुश्री एम.पी. सुगन्धी, वरिष्ठ निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली.
4. श्री दीपक कुमार, निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली.

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम दिशा निर्देशिका में किये गये संशोधन निम्न प्रकार है।

पैरा	वर्तमान पाठ	संशोधित पैरा
2(ज)	**जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा:** जिलों को परस्पर विकास संबंधी बदलावों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती दी जाएगी तथा उनके निष्पादन को देखते हुए पुरस्कृत किया जाएगा।	**जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा:** जिलों को परस्पर विकास संबंधी बदलावों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती दी जाएगी तथा उनके निष्पादन को देखते हुए पुरस्कृत किया जाएगा। जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए तीन श्रेणी रखी जायेगी। (i) बडे राज्य (ii) छोटे राज्य (iii) केन्द्र शासित प्रदेश
2 (झ)	**व्यापक विकास:** सीमावर्ती जिलों के व्यापक विकास के लिए बीएडीपी के पास दो घटक होंगे-पहला लाभार्थियों की संतृप्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सीमावर्ती जिलों में अवसंरचना का निर्माण सुनिश्चित करना, और दूसरे घटक में विकास के वांछित स्तरों को प्राप्त करने के लिए अभिसरण और कमियों को दूर करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीएस) होगी।	यह पैरा हटा दिया गया है।
4.2 (क)	बीएडीएस के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का 10 % अंश आरक्षित रखा जाएगा (जिसे बीएडीएस आरक्षित निधि कहा जाएगा) तथा इसे बेहतर तरीके से निष्पादन कर रहे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिये उपयोग में लाया जाएगा।	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटित वार्षिक निधि का अधिकतम 05% तक का उपयोग गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बीएडीपी से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए किया जाएगा जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का कार्यान्वयन और गृह मंत्रालय, भारत सरकार में अन्य स्थापना प्रभार, जागरुकता कार्यक्रम, सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव जैसे समारोह आयोजित करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, क्षमता निर्माण, सेमिनार आयोजित करना, बीएडीपी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए उपकरण और जनशक्ति उपलब्ध कराना, बीएडीपी का थर्ड पार्टी मूल्यांकन (टीपीई), परामर्श सेवाएँ, वाहनों को किराए पर लेना आदि जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटित वार्षिक निधि में से कम से कम 05% धनराशि को आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा और इसका उपयोग गृह मंत्रालय द्वारा उच्चतम प्रदर्शन करने वाले जिलों को सीमा क्षेत्रों में मुख्य परियोजनाओं/ मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए/ ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य/परियोजना जिसे वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका, के लिए अतिरिक्त निधियाँ प्रदान करके किया जाएगा। बीएडीपी से संबंधित प्रशासनिक व्यय एवं आरक्षित निधि के अन्तर्गत कुल आवंटन, बीएडीपी के कुल वार्षिक आवंटन के 10% से अधिक नहीं होगा।
4.8	मूलभूत भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिये सीमावर्ती गांवों/ कस्बों में अनिवार्य रुप से एक बेसलाइन सर्वेक्षण तथा स्थानिक संसाधन मानचित्र की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। संबंधित राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों	आधारभूत अवसंरचना में कमियों का मूल्यांकन करने के लिए अन्य विकासात्मक मंत्रालयों/राज्य सरकारों /भारत सरकार के संस्थानों द्वारा कराए गये सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाएगा। बीएडीपी के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने के लिए ऐसे सर्वेक्षण आंकडों का उपयोग करने हेतु जिलों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय द्वारा अधिदेशित किया जाएगा।

पैरा	वर्तमान पाठ	संशोधित पैरा
	की सरकारें बीएडीएस सहित भारत सरकार की विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से इन कमियों की भरपाई करेगी।	
5.3	कार्यों/परियोजनाओं की सूची, जिन्हें सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीएस) के अंतर्गत लिया जा सकता है, अनुलग्नक-I पर है। बीएडीएस के अंतर्गत कार्यों/परियोजनाओं का केंद्र-बिंदु समुदाय के लाभ पर होना चाहिए।	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत अनुमत कार्यों/परियोजनाओं की सांकेतिक सूची अनुलग्नक-I पर संलग्न है। बीएडीपी के अंतर्गत कार्यों/ परियोजनाओं का केंद्र-बिंदु, समुदाय के लाभ पर होना चाहिए। बीएडीपी के अन्तर्गत, सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) के लिए, सीमावर्ती चौकियों/ बीजीएफ परिसरों में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही, बीएडीपी के अंतर्गत सरकारी कार्यालय के भवनों के निर्माण/रखरखाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जायेगा।
5.5	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा बीएडीपी के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त की अध्यक्षता में गठन किया जा सकता है।	बीएडीपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन करेंगी जिसमें सभी हितधारकों की ओर से सदस्य होंगे। डीएलसी में सीमा रक्षक बलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। डीएलसी की एक तिमाही में कम से कम एक बैठक नियमित रूप से की जाएगी।
6.7	बीएडीपी संबंधी अधिकार समिति के प्राप्त-क्ष को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अध्य के साथ बीएडीपी दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान में छूट देने का अधिकार होगा	राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को निधियों के वार्षिक आवंटन/स्वीकृति और बीएडीपी के अन्तर्गत कार्यों/परियोजनाओं का अनुमोदन, बीएडीपी संबंधी अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष/सचिव (सीमा प्रबंधन) के अनुमोदन से किया जाएगा। बीएडीपी संबंधी अधिकार-प्राप्त समिति के अध्यक्ष कार्यों/ परियोजनाओं की स्वीकृति से संबंधित बीएडीपी दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान में शिथिलता प्रदान करने के लिए अधिकृत होगें।
10.3	वर्तमान सामान्य वित्तीय नियमावली दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी स्तर पर जमा बीएडीएस निधियों पर अर्जित ब्याज को बीएडीएस के अन्तर्गत अतिरिक्त संसाधन माना जाएगा और इसका उपयोग बीएडीपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता जनगणना ग्रामों में कार्यों/ परियोजनाओं हेतु किया जायेगा। इस संबंध में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा गृह मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपक्षित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार के सहायता अनुदान से मिला सारा ब्याज या अन्य आय या अग्रिम को, खातों को अन्तिम रुप दिये जाने के बाद तत्काल राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर अनुरक्षित विशिष्ट बीएडीएस खाते में जमा किया गया है।	सामान्य वित्तीय नियमावली दिशानिर्देश-2017 के नियम 230(8) के अनुसार बीएडीपी निधि पर अर्जित सम्पूर्ण ब्याज, किसी भी स्तर पर अनिवार्य रूप से खातों को अंतिम रूप देने के पश्चात भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा करना होगा। इस संबंध में, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को गृह मंत्रालय को यह बताते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अन्तर्गत राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश को दिए गए अनुदान के सापेक्ष अर्जित ब्याज या अन्य प्राप्तियों (earnings) को अनिवार्य रूप से खातों को अंतिम रूप देने के पश्चात भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा किया गया है।
	अनुलग्नक-I, बीएडीपी दिशानिर्देश, 2020 **अनुलग्नक-I** - सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुमत कार्यों/ परियोजनाओं की निदर्शी सूची।	**अनुलग्नक-I** - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अन्तर्गत निर्माण कार्यों/परियोजनाओं की सांकेतिक सूची में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया है: **सड़कें तथा पुल** - रोपवे का निर्माण। **सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना** – ग्रामीण बाजारों के लिए अवसंरचना(शेड) का निर्माण।
	पैरा 2(झ) व अन्य जगह बीएडीएस शब्द का प्रयोग किया गया है ।	जहाँ पर भी बीएडीएस शब्द का उल्लेख किया गया है उसके स्थान पर बीएडीपी पढा जाय।